



फा.सं. I(22)05/Weighment/CCTV/2024-

दिनांक : 07.03.2024

:: निविदा सूचना ::

मध्य-प्रदेश इकाई में अफीम फसल वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जन साधारण को दर्शाने के लिए तथा सर्वर नेटवर्क रिकार्डिंग एवं मुख्यालयों (नीमच व ग्वालियर) पर सीधे प्रसारण हेतु कुल 95 कैमरो को उपरोक्त विभिन्न तौल केन्द्रों पर लगाए जाने हेतु निविदाएं पुनः आमंत्रित की जाती है-

1. प्रत्येक तौल केन्द्र पर संबंधित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के आवश्यकता अनुसार कैमरे लगाये जायेंगे, जिनकी संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
2. तौल केन्द्रों पर लगाए जाने वाले कैमरे सारणी में दी गयी विशिष्टी (Specifications) से कम नहीं होने चाहिए।
3. अप्रैल, 2024 के प्रथम सप्ताह से लगभग 20 दिनों के लिए अफीम तौल का कार्य किया जायेगा। गरौठ एवं जावरा तौल केन्द्रों पर लगभग 10 दिनों तक तौल कार्य चलेगा।
4. इच्छुक फर्म अपनी मुहरबंद निविदाओं के लिफाफे दिनांक 15.03.2024 दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 15.03.2024 दोपहर 12:00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. इच्छुक फर्म को अपनी निविदाएं दो प्रकार की प्रणालियों में जमा करनी होगी, जो की निर्धारित प्रोफार्म (अनुलग्नक-। और ।।) में (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली है।
6. तकनीकी बोलियों (Technical Bids) को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, विभाग की मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 15.03.2024 को 16:00 बजे खोला जाएगा और केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां, जो की तकनीकी बोलियों में योग्य हैं, दिनांक 15.03.2024 को 16:30 बजे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त "नारकोटिक्स हाऊस" राजस्व कॉलोनी, नीमच (म.प्र.) में खोली जाएंगी।
7. न्यूनतम दर (सभी करों सहित) वाले एक ही सफल निविदादाता को समस्त तौल केन्द्रों के लिये कार्यादेश दिया जायेगा।

कैमरे व सर्वर बाक्स का वांछित विवरण

क्रं. सं.	नाम उपकरण	Specifications
1	Camera	I. Picture HD quality (5 Mega Pixel), in built audio with POE supported, VGA Lences, Minimum Image resolution 640x480, Frame rate 50 Hz:25 fps (640x480), 60 Hz:30 fps (640x480) Shutter time 1/25S-1/100,000s, with audio output, Wi Fi enable OR II Any other latest or better version.
2	Server box (NVR 16 Channel)	16 Video & audio input network enable, Wi Fi, Storage capacity for at least 1 month
	<i>The above camera & the server box must have U-L Certification i.e. Electrical device under electrical business equipment tested & passed by approved laboratory</i>	

नियम एवं शर्तें

1. कैमरों को माह अप्रैल, 2024 में विभिन्न तौल केन्द्रों पर संबंधित जिला अफीम अधिकारी के निर्देशानुसार, निविदादाता द्वारा स्थापित करना होगा।
2. निविदादाता को कैमरों एवं सर्वर बाक्स सहित इनको स्थापित करने में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं संसाधन स्वयं उपलब्ध कराने होंगे, आधुनिक कम्प्यूटर के अलावा किसी भी प्रकार का कोई उपकरण एवं संसाधन विभाग द्वारा देय नहीं होगा, ना ही इसके लिए अलग से कोई चार्ज देय होगा।
3. कैमरों को लगातार 24 घण्टे चालू रखने एवं रिकार्डिंग हेतु आवश्यक सहायक/सहायकों, जिन्हें इस संबंध में पूर्ण जानकारी हो, निविदादाता को लगातार अफीम तौल केन्द्रों पर उपलब्ध कराने होंगे, जिसका कोई अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. समस्त कैमरों को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) नियमित चलाने, रिकार्डिंग एवं लाईव प्रसारण की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
5. कैमरों को तौल केन्द्रों पर लगाये (Installation) जाने वाले दिन एवं निकाले (Removal) जाने वाले दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा। अगर उस स्थान से हटवा कर दोबारा नये स्थान पर लगाने हेतु अगर जिला अफीम अफीम अधिकारी के द्वारा कहा जाता है तो उसका चार्ज देय होगा।
6. तकनीकी बोली खुलने के समय आवश्यक उपकरण जैसे कैमरे (95) व विडियो रिकार्डर (एन.वी.आर. 16 चैनल) का निविदादाता द्वारा मौके पर ही भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक है।
7. न्यूनतम दर समान होने पर नवीनतम तकनीक (Latest Technology) के उपकरणों वाली फर्म को वरियता दी जाएगी।
8. निविदादाता को दो अलग-अलग मोहरबंद लिफाफों में अपनी निविदा देनी होगी। जिसमें पहले लिफाफे पर "अफीम तौल कार्य हेतु कैमरे की निविदा हेतु तकनीकी बोली" एवं दूसरे लिफाफे पर "अफीम तौल कार्य हेतु कैमर की निविदा हेतु वित्तीय बोली" लिखा हो।
9. निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में ₹. 50,000/- (रुपये पचास हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच" के नाम पर देय हो, वित्तीय बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। एवं धरोहर राशि के ड्राफ्ट की एक प्रतिलिपि (copy) तकनीकी बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
10. यदि निविदादाता का बोली में चयन होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य करने के लिये मना करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं कार्यादेश दूसरी सबसे कम दर वाले निविदादाता को प्रदान कर दिया जावेगा, जिसके बारे में पुनः विचार नहीं किया जावेगा।
11. सभी केन्द्रों पर लगाये गये कैमरों द्वारा सीधा प्रसारण H.D. Quality में होना आवश्यक है।
12. सीधा प्रसारण की रिकार्डिंग सुविधा मुख्यालयों (नीमच व ग्वालियर) पर भी उपलब्ध करवानी होगी।
13. निविदादाता को दैनिक रूप से रिकार्डिंग की ऑडियो एवं वीडियो सी.डी./डी.वी.डी./हार्डडिस्क, जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, तैयार कर संबंधित जिला अफीम अधिकारी को देनी होगी।
14. यदि कोई भी कैमरा खराब/बंद होता है तो उसे तुरन्त चलाना/बदलना होगा।
15. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
16. निविदादाता द्वारा गुटबंदी किये जाने पर कार्यालय द्वारा निविदादाता को वर्तमान निविदा या बोली से निष्कासित किया जा सकता है या उनकी फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
17. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।

18. सर्वाधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के पास सुरक्षित होगा।
19. केवल वही फर्म निविदाएँ प्रस्तुत करें जो जी.एस.टी में पंजीकृत हो व आयकर रिटर्न भरती हो। साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या (अभिप्रमाणित प्रति) एवं FY 2022-23 (AY 2023-24) की आयकर रिटर्न (ITR) प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।


अधीक्षक (कार्यपालक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री एस.के. वर्मा, अधीक्षक (Online), कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) -474006 को निविदा की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/ द्वितीय / तृतीय, मन्दसौर प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय, जावरा प्रथम/ द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके कार्य क्षेत्र में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।


अधीक्षक (कार्यपालक)

तकनीकी बोली (Technical Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2023-24 के तौल केन्द्रों पर कैमरे लगाने के लिए)

1	टेंडरिंग कंपनी का नाम (कंपनी के संक्षिप्त प्रोफाइल के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
2	कंपनी के प्रोप्राइटर/निदेशक का नाम	
3	टेलीफोन नंबर फैक्स और ई-मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
4	ऑपरेटिंग/शाखा कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नंबर फैक्स और ई-मेल के साथ	
5	FY 2022-23 (AY 2023-24) की आयकर रिटर्न (ITR) प्रति संलग्न करें।	
6	वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7	शपथ पत्र – यह बताते हुए कि कंपनी को पिछले तीन वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न करें) और न ही किसी भी सरकारी विभागों के साथ कोई मुकदमेबाजी लंबित है।	
8	धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में घोषणापत्र (निविदा दस्तावेज में दिये गए एनेक्सर-III में विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित)	
9	निविदा दस्तावेज निष्पादित करने के लिए फर्म द्वारा किसी व्यक्ति का प्राधिकरण (authorisation)	
10	अनुभव प्रमाण-पत्र (कार्यादेश के साथ)	

तारीख –

स्थान –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

वित्तीय बोली (Financial Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2023-24 के तौल केन्द्रों पर कैमरे लगाने के लिए)

1.	बोलीदाता फर्म का नाम	
2.	पता (टेलिफोन नम्बर एवं फैक्स नम्बर के साथ)	
3.	प्रोप्राईटर/निदेशक/भागीदार का नाम व पता (मोबाईल नम्बर सहित)	
4.	प्रति कैमरा प्रति दिन का किराया (रुपये में) (समस्त उपकरणों/सहायकों सहित)	
5.	जी.एस.टी.	
	कुल राशि (उपरोक्त 4+5)	

तारीख —

स्थान —

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचार के बारे में घोषणा

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, मैं/हम न तो किसी अनुबंध के अनुपालन में असमर्थ रहा/रहे हैं और न ही मैं/हम पर किसी मध्यस्थ अथवा न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी भी परियोजना या अनुबंध के मेरे/हमारे भाग पर उत्लंघन के सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से निष्कासित किया गया है।

(क) मैं/हम किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रतिनिधि एजेंट के माध्यम से किसी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधड़ी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधकारक कार्य में लिप्त नहीं हैं जो कि किसी भी निविदा या प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या किसी भी सरकार, केंद्रीय या राज्य के साथ दर्ज किए गए प्रस्ताव या किसी समझौते के संबंध में हो; तथा

(ख) मैंने/हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मेरी/हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करेगा या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधड़ी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधात्मक कार्य में लिप्त नहीं रहेगा।

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता के अलावा अन्य मामलों के संबंध में हम या हमारे किसी भी एसोसिएट्स को किसी न्यायालय (Court of Law) द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या न ही किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया है या प्रतिकूल आदेश दिये गए हैं, जो अनुबन्ध (Project) को शुरू करने के लिए हमारी क्षमता पर संदेह करता है या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित होता है जो समाज की नैतिकता को प्रभावित करता हो।

मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में, सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा हम पर न ही कोई आरोप पत्र जारी किया गया है अथवा विधि न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

मैं/हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) द्वारा कोई जांच हमारे या हमारे सीईओ या हमारे निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के खिलाफ लंबित नहीं है।

तारीख —

स्थान —

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील